फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रोडीलाल — **विपक्षी : मैसर्स विलो इन्टरनेशनल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 52/19**

जीसीएमएस : 2019/00164

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सिन्दू पटवार हल्का सिन्दू तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 152 पर दर्ज आराजी नम्बर 15, 16 किता 2 कुल रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में दिनांक 16.07.2019 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षी को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी मौके पर खनन कार्य कर लेते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं इसलिए पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा सिन्दू पटवार हल्का सिन्दू तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 152 पर दर्ज आराजी नम्बर 15, 16 किता 2 कुल रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात में खनन कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:48 IST
Reason: SelfAttested